

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215414 CG-DL-E-15012020-215414

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] No. 26] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2020/पौष 23, 1941 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2020/PAUSHA 23, 1941

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2020

सं. 05/2020-केंद्रीय कर

सा.का.िन. 28(अ).—केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (99) के साथ पठित धारा 5 के उपबंधों के अनुसरण में,--

- (क) अपर या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त, केंद्रीय कर ; और
- (ख) उपायुक्त या सहायक आयुक्त या अधीक्षक, केंद्रीय कर द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेशों के लिए अपर या संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर,

को उक्त अधिनियम की धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करता है।

[फा.सं. 20/06/07/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

241GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2020

No. 05/2020 - Central Tax

G.S.R. 28(E).—In pursuance of the provisions of section 5 read with clause (99) of section 2 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby authorises—

- (a) the Principal Commissioner or Commissioner of Central Tax for decisions or orders passed by the Additional or Joint Commissioner of Central Tax; and
- (b) the Additional or Joint Commissioner of Central Tax for decisions or orders passed by the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner or Superintendent of Central Tax,

as the Revisional Authority under section 108 of the said Act.

[F. No. 20/06/07/2019-GST] PRAMOD KUMAR, Director